न्यायालयः- विशिष्ठ न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम प्रकरण

(सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर)

पीठासीन अधिकारी- श्री पूरण कुमार शर्मा

सेशन प्रकरण संख्या- 62/2014 (1161/2014)

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजन जैसलमेर।

बनाम

1- गोरधनसिंह पुत्र ईश्वरसिंह उम्र 56 साल निवासी म्याजलार पुलिस थाना, . झिंझनियाली जिला जैसलमेर।

2- हालसिंह पुत्र मूलसिंह उम्र 42 साल निवासी निवासी म्याजलार पुलिस थाना, झिंझनियाली जिला जैसलमेर।

3- चम्पालाल उर्फ लक्की पुत्र सुखराम उम्र 38 साल निवासी खटीकों का बास,गुडामालानी जिला बाडमेर।

4- नारायणसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 36 साल निवासी सत्तों की ढाणी, पुलिस थाना, झिंझनियाली जिला जैसलमेर।

5- शैतानसिंह पुत्र कंवराजसिंह उम्र 31 साल निवासी सत्तों की ढाणी, पुलिस थाना, झिंझनियाली जिला जैसलमेर।

6- अमीन पुत्र मोहम्मद हनीफखां उर्फ बाबूखां निवासी भिश्तियों की मस्जिद के सामने बोम्बे डाईंग के पीछे, जवाहरखाना रोड पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर महानगर।

7- नदीम पुत्र मोहम्मद हनीफखां उर्फ बाबूखां निवासी भिश्तियों की मस्जिद के सामने बोम्बे डाईंग के पीछे, जवाहरखाना रोड पुलिस थाना सदर बाजार, जोधपुर महानगर। ----अभियुक्तगण।

अपराध अन्तर्गत धारा धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम

उपस्थितः-

1. श्री अब्दुल रहमान एवं श्री जहाँगीर मलिक, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण गोरधनसिंह व हालसिंह की ओर से।

2. श्री चनणाराम चौधरी, अधिवक्ता, अभियुक्त चम्पालाल उर्फ लक्की की ओर से।

3. श्री कंवराजसिंह राठौड, अधिवक्ता, अभियुक्तगण शैतानसिंह एवं नारायणसिंह की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश वासू एवं श्री शैतानसिंह परिहार, अधिवक्तागण, अभियुक्तगण अमीन एवं नदीम की ओर से।
5. श्री रमणलाल बालोच, विशिष्ट लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

-निर्णय- **दिनांक-26.09.2024**

1- प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना, रामगढ जिला जैसलमेर द्वारा दिनांक 01.03.2014 अभियुक्तगण गोरधनसिंह एवं हालसिंह के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं अभियुक्त चम्पालाल उर्फ लक्की के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 137 विद्युत अधिनियम के तहत एवं दिनांक 09.05.2014 अभियुक्तगण नारायणसिंह एवं शैतानसिंह के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं अभियुक्तगण अमीन एवं नदीम के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 137 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पत्र विचारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी सुनिल भारद्वाज ने दिनांक 16.09.2013 को एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी 13) पुलिस थाना, रामगढ जिला जैसलमेर के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.08.2013 को विण्ड टरबाईन जनरेटर एमके 08 साईट सोनू सेरावा में टरबाईन की पॉवर केबल और अर्थिंग केबल अज्ञात चोर चोरी कर केबल साईज 300 स्का० एम.एम. 255 मीटर, 240 स्का० एम.एम. 450 मीटर, 185 स्का० एम.एम. 25 मीटर चोरी कर ले गये। उसी रात में विण्ड टरबाईन जनरेटर संख्या एम.के.07 की अज्ञात चोर ताम्बा केबल 240 स्का० एम.एम. 710 मीटर व 185 स्का० एम.एम. 25 मीटर तथा अन्य सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले गये ..आदि। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 56/2013 पुलिस थाना, रामगढ जिला जैसलमेर जैसलमेर अपराध अंतर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज की जाकर अनुसंधान पूर्ण होने पर विचारण हेतु अभियुक्तगण गोरधनसिंह, हालसिंह, नारायणसिंह एवं शैतानसिंह के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं अभियुक्तगण चम्पालाल उर्फ लक्की, अमीन एवं नदीम के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 137 विद्युत अधिनियम तहत यह आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

3- बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण गोरधनसिंह, हालसिंह, नारायणसिंह एवं शैतानसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं अभियुक्तगण चम्पालाल उर्फ लक्की, अमीन एवं नदीम को अपराध अन्तर्गत धारा 137 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म करने से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

4- अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 मोहनलाल, पी.डब्लू.02 प्रेमशंकर, पी.डब्लू.03 खुशालचन्द, पी.डब्लू.04 नेपालसिंह, पी.डब्लू.05 ओमप्रकाश शर्मा, पी.डब्लू.06 सहदेव, पी.डब्लू.07 भेरूसिंह, पी.डब्लू.08 मोहरसिंह, पी.डब्लू.09 सुनिल भारद्वाज, पी.डब्लू.10 जेठाराम, पी.डब्लू.11 देवीसिंह, पी.डब्लू. 12 कमल किशोर, पी.डब्लू. 13 रामनारायण, पी.डब्लू. 14 कालूराम, पी.डब्लू. 15 मूलाराम एवं पी.डब्लू.16 अमरसिंह को परीक्षित कराया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 से प्रदर्श पी-30 तक पेश कर प्रदर्शित कराये गये।

5- अभियुक्तगण के अभिकथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कलमबद्ध किये गये तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वे निर्दोष हैं।

6- बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व संबंधित विधि का अध्ययन किया गया।

7- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया हैं। पत्रावली पर अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य नहीं आयी हैं। यह भी निवेदन किया कि प्रकरण में परिवादी सुनिल भारद्वाज द्वारा दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 पुलिस थाना, रामगढ में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करवायी गयी है थी, जो घटना के करीब पच्चीस दिन बाद करवाई गई है। यह भी निवेदन किया कि परिवादी पी.डब्लू.09 सुनिल भारद्वाज अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन करता हैं कि उसने चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा। घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था। प्रदर्श.पी.01 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना, रामगढ में कराये थे। यह भी निवेदन किया कि गवाह पी.डब्लू.10 जेठाराम अनुसंधान अधिकारी अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन करता है कि एफआईआर दर्ज होने के तीन-चार माह बाद मुलजिमान गोरधनसिंह व हालसिंह को

गिरफतार किया था। उसने माल के मालिकाना हक के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया। बरामद सुदा ताम्बे के टुकडों पर कोई निशान अंकित नहीं थे। मौका तस्दीक से पूर्व पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका देखा जा चुका था। यह भी निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण के एकल स्वामित्व के स्थान से बरामदगी नहीं की गयी हैं। यह भी निवेदन किया गया कि बरामदा माल के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लिये। बरामदा माल से अभियुक्तगण का संबंध साक्ष्य से नहीं जुड़ पाया हैं। यह भी निवेदन किया कि पत्रावली पर ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जा सके। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा हैं। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

8– इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने पत्रावली पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित होना बताते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्व कर दंडित करने का निवेदन किया।

9– उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं–

1. क्या अभियुक्तगण गोरधनसिंह एवं हालसिंह ने दिनांक 11–08–2013 को किसी समय सरहद सोनू (सेरवा) में विण्ड टरबाईन जनरेटर एम.के.008 व एम.के.007 के टरबाईन की पॉवर केबल और अर्थिंग केबल बेईमानीपूर्वक आशय से काटकर चुराकर ले गये और अभियुक्त चम्पालाल द्वारा उक्त चुराई हुई सम्पत्ति होना जानते हुए उक्त केबल प्राप्त की और अपने कब्जे में रखी?
2. क्या अभियुक्तगण नारायणसिंह एवं शैतानसिंह ने दिनांक 05.01.2014 से 24.04.2014 के बीच उक्त पॉवर केबल और अर्थिंग केबल बेईमानीपूर्वक आशय से काटकर चुराकर ले गये एवं जोधपुर शहर में सहअभियुक्त चम्पालाल के कब्जा की पॉवर व अर्थिंग केबल चोरी की सम्पत्ति होना जानते हुए अभियुक्तगण अमीन एवं नदीम ने प्राप्त कर अपने कब्जे में रखी?
3. यदि उक्त अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना पाये है तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दंडित किया जाना उचित होगा?

10– इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहान की साक्ष्य

11– इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहान की साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों के संबंध में किया जाए तो यह स्पष्ट है कि किसी भी अभियुक्तगण को प्रत्यक्ष रूप से चोरी करते हुए किसी भी गवाह द्वारा नहीं देखा गया है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर ही आई है और जहाँ प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य से जुड़ा हुआ नहीं होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, ऐसे मामलो में अभियोजन को बरामदगी व उससे संबंधित कार्यवाही को संदेह से परे प्रमाणित करना होता हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण को घटना में संलिप्त होना माना गया हैं, जिससे उक्त संपूर्ण प्रकरण बरामदगी पर आधारित हो जाता है और जहाँ बरामदगी कार्यवाही पर पूरा मामला आधारित हो, वहां पर अभियोजन का यह दायित्व बढ़ जाता है कि वह बरामदगी कार्यवाही को संदेह से परे प्रमाणित करे।

12- इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों के संबंध में किया जाए तो परिवादी पी०ड० 09 सुनिल भारद्वाज अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह वर्ष 2011 से किशनगढ़ हाइटेक टैक्सटाइल कम्पनी में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत था। सुजलोन कम्पनी के विण्ड पावर टरबाइन सोनू व सेरावा के हल्के में लगे हुवे थे। लोकेशन संख्या एमके 07 व 08 पर केबल चोरी की सूचना सुजलोन कम्पनी के मार्फत उसे दी गयी थी तब उसके द्वारा उक्त लोकेशन पर जाकर लोकेशन देखा, जहां दिनांक 11.08.2013 को चोरी हुयी थी। उक्त लोकेशनों से अर्थिंग व पावर केबल चोरी हुयी थी। दोनों पंखों पर अलग–अलग चोरिया हुयी थी, जो लगभग 700 मीटर केबल चोरी हुयी थी। उसने उक्त चोरियों के संबंध में पुलिस थाना रामगढ़ में रिपोर्ट पेश की थी, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है, जिस पर उसके तीन जगह हस्ताक्षर है। चाक एफआइआर प्रदर्श पी–14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त घटनास्थलों का पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी–01 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

13- प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता हैं कि घटना की रिपोर्ट एक माह बाद दर्ज कराई थी। उसने चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा। घटना के समय वह

घटनास्थल पर था। प्रदर्श.पी.01 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना, रामगढ में कराये थे।

14- इस प्रकार उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा वक्त घटना वह घटनास्थल पर नहीं था। घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा एक माह बाद दर्ज करवाई गई थी। उक्त गवाह किसी को चोरी करते हुए नहीं देखना कथित करता है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता हैं।

15- गवाह पी.डब्लू.01 मोहनलाल हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है और उक्त साक्षी अभियोजन पक्ष की कहानी का किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करता हैं।

16- गवाह पी.डब्लू.02 प्रेमशंकर फर्द जब्ती प्रदर्श.पी.02 का मौतबिर होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता हैं कि दिनांक 21.01.2014 को वह पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थापित था। उस रोज उसके व सहदेव के समक्ष मुकदमा संख्या 50/13 पुलिस थाना राजीव थाना, जोधपुर में जब्त वाहन स्कॉर्पियों व गेटवे नं आरजे 15 सीए 3069 को जेठाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी, रामगढ ने उक्त प्रकरण में राजीव गांधी थाना से तसरीफ जब्ती की गयी। जिसकी जब्त प्रदर्श पी–2 है, जिस पर उसके व सहदेव के हस्ताक्षर है।

17– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि उक्त वाहन अन्य प्रकरण राजीव नगर थाने, जोधपुर में खडा था। इस प्रकार उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिसके कथनों से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता हैं।

18– गवाह पी.डब्लू.03 खुशालचंद हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान किये जाने संबंधी कथन करते हुए उसके द्वारा हस्तगत प्रकरण में मुकदमा दर्ज किये जाना, अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना, नक्शा मौका तैयार कर फर्द प्रदर्श.पी. 06 मुर्तिब करना, अभियुक्त चम्पालाल की ईत्तला के अनुसार उसके रहवासी मकान से उसके व अमरसिंह के रूबरू ताम्बे की 25 किलोग्राम तार मुलजिम चम्पालाल से बरामद करना, फर्द बरामदगी प्रदर्श.पी.07 मुर्तिब करना, प्रकरण हाजा के अनुसंधान अधिकारी देवीसिंह प्रकरण में जब्त सुदा माल को कंपनी के स्टोर कीपर ओमप्रकाश से शिनाख्तगी कराया जाना, जिसकी फर्द प्रदर्श.पी.08 व 09 मुर्तिब करना कथन करता हैं।

19– प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह स्पष्ट कथन करता है कि जब्त सुदा माल आज उसके

सामने हाजिर अदालत नहीं हैं। मुलजिम अन्य प्रकरण से जोधपुर जेल से लिये थे। इस प्रकार उक्त साक्षी हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान किये जाने संबंधी साक्ष्य देता है, जिसके कथनों से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता हैं।

20– गवाह पी.डब्लू.10 जेठाराम भी हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान किये जाने संबंधी कथन करते हुए कथन करता है कि वर्ष 2013 को दिनांक 01.01.2014 को एफआईआर संख्या 56/2013 धारा 136 विद्युत अधिनियम में मुलजिम गोरधनसिंह व हालसिंह, जो पूर्व में थाना के अन्य प्रकरण संख्या 63/13 में गिरफ्तार थे, को प्रकरण हाजा में जरिये तसरूफ गिरफ्तारी के गिरफ्तार किये थे। मुलजिम गोरधनसिंह की फर्द तसरूफ गिरफ्तारी प्रदर्शपी–03 है व मुलजिम की फर्द तसरूफ गिरफ्तारी प्रदर्शपी–04 है। हाजा में मुलजिम चम्पालाल उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–05 है। मुलजिम हालसिंह के कब्जेसुदा एक वाहन स्कॉर्पियो गेटवे जो पुलिस थाना राजीव नगर, जोधपुर शहर में जब्त थी, जो प्रकरण हाजा में मतलूब होने से जरिये तसरूफ फर्द जब्ती के जब्त की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–02 है। मुलजिमान गोरधनसिंह व हालसिंह ने जैर हिरासत पुलिस धारा 27 की ईत्तिला दी कि जिस स्थान पर उन्होंने केबल की तार काटकर कब्बाडी चंपालाल को बेची, वो स्थान वह चलकर बता सकता है। मुलजिमान के कहे अनुसार सूचना पृथक–पृथक लेखबद्ध की जो क्रमशः प्रदर्शपी 15 व 16 है। मुलजिमान गोरधनसिंह व हालसिंह ने जिस कट्टर व आरी फन्नर से केबल काटी थी, उसको बरामद कराने के संबध में सूचना दी थी, दोनों की सूचना पृथक–पृथक उनके कहे अनुसार लेखबद्ध की थी जो, क्रमशः प्रदर्शपी 17 व 18 है। मुलजिम चंपालाल ने जिस स्थान पर केबल बेची थी, उस स्थान को चलकर बताने की सूचना दी, जो सूचना प्रदर्शपी–19 है। मुलजिम चंपालाल द्वारा चोरी की केबल खरीदी, उसमें से तांबे के सैंपल बचाकर रखे थे, वो बरामद कराने के संबंध में सूचना प्रदर्शपी–20 दी थी।

21– उक्त साक्षी मुख्य परीक्षण में आगे कथन करती है कि मुलजिम चंपालाल की निशांदेही से सूचना के मुताबिक तस्दीक मौका मुर्तिब किया था, जो प्रदर्श पी–06 है। मुलजिम चंपालाल की निशांदेही से सूचना के मुताबिक तांबे की केबल बरामद की थी, जिसकी फर्द बरामदगी मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी–07 है। जिस मुलजिमान गोरधनसिंह व हालसिंह की सूचना के मुताबिक सूचना तस्दीक मौका बरामदगी स्थल तांबे की केबल

के टुकडे जिस जगह से बरामद किये, उसका नक्शा मौका व फर्द बरामदगी बनायी, जो प्रदर्श पी 10 है। मुलजिमान गोरधनसिंह व हालसिंह ने जिस जगह से केबल काटकर चोरी की थी, उस स्थान सरहद सेरावा की मुलजिमान की सूचना के मुताबिक मौका तस्दीक की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–10 है। मुलजिम गोरधनसिंह की सूचना के मुताबिक केबल काटने का कट्टर बरामद किया था, जिसकी फर्द प्रदर्शपी 11 है व मुलजिम हालसिंह की सूचना के मुताबिक केबल काटने का फन्नर लोहे की आरी बरामद किया था, जिसकी फर्द प्रदर्शपी–12 है। उसके अनुसंधान से मुलजिम गोरधनसिंह, हालसिंह व चंपालाल के विरूद्ध जुर्म धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम का अपराध प्रमाणित था। उसका स्थानातंरण हो जाने से पत्रावली थाना इंचार्ज को सुपुर्द करना गवाह कहता है।

22– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि इस प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज होने के तीन–चार माह बाद मुलजिमान गोरधनसिंह व हालसिंह की गिरफतारी हुई थी। माल के मालिकाना हक के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया। बरामद सुदा तांबेके टुकडोंपर कोई निशान अंकित नहीं था। मौका तस्दीक से पूर्व पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका देखा जा चुका था। उसने मुलजिमान गोरधनसिंह व हालसिंह के कहने से मुलजिम चंपालाल को पकडा था। माल पर कम्पनी का पहचान चिन्हनहीं है।

23– इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में किये गये उपर्युक्त कथनो से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है।

24– हस्तगत प्रकरण का अन्य अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल.11 देवीसिंह भी प्रकरण में अनुसंधान किये जाने संबंधी साक्ष्य देते हुए अपने अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 16.09.2013 को मुस्तगीस सुनिल भारद्वाज ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी 13 उसके समक्ष पेश पेश किये जाने पर चाक एफआईआर प्रदर्शपी 14 जारी कर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का रूबरू मौतबिरान परिवादी की निशांदेही से नक्शा मौका देखकर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्शपी–01 मुर्तिब किया। जिस पर ए से बी व ई से एफ मौतबिरान के, सी से डी परिवादी के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुस्तगीस सुनिल भारद्वाज के बयान लिये गये। उसके बाद पत्रावली का अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी

जेठाराम ने किया। बाद अनुसंधान पत्रावली उसे प्राप्त होने पर उसने मुलजिमान गोरधनसिह, हालसिंह के जुर्म धारा 136 विद्युत अधिनियम में व मुलजिम चंपालाल के विरूद्ध जुर्म धारा 137 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया तथा 173 (8) सीआरपीसी में अनुसंधान लंबित रखा। दिनांक 11.03.2014 को मुलजिम नारायणसिंह को रूबरू मौतबिरान गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द प्रदर्शपी 21 है। दिनांक 12.03.2014 को मुलजिम शैतानसिंह को रूबरू मौतबिरान गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी–22 बनायी। जैर हिरासत मुलजिमान नारायणसिंह व शैतानसिंह ने चोरी की केबल जहां छिपाकर रखी है, वहां से बरामद कराने बाबत् ईत्तिला दी, जो ईत्तिला फर्द क्रमशः प्रदर्शपी 23 व 24 है। मुलजिमान नारायणसिंह व शैतानसिंह की निशांदेही से घटनास्थल सरहद सेरावा में चोरी वाले स्थान की रूबरू मौतबिरान मौका तस्दीक कर फर्द प्रदर्शपी–25 बनायी। मुलजिमान नारायणसिंह व शैतानसिंह ने सरहद सतो की ढाणी में उसके ऐवड की गवाडी में छिपाकर रखी तांबे के तार के टुकडे निकालकर पेश किये थे, जिसे जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी–26 बनायी थी। पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु थानाधिकारी दिलीप खदाव को सुपुर्द करना गवाह कहता है।

25– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 के साथ चोरी हुए माल के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किये थे। अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग समय में हुई चोरियों की एक ही रिपोर्ट पेश की थी। मुलजिमान गोरधनसिंह हालसिंह से उसने कोई बरामदगी नहीं की तथा न ही इस संबंध में कोई अनुसंधान किया। वक्त गिरफतारी मुलजिमान से कोई तार बरामद नहीं हुए थे। प्रदर्श पी–25 वाले स्थान की जानकारी उसे मौका तस्दीक से पूर्व थी। बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–26 खुला स्थान है। प्रदर्श पी–26 में दर्शाया गया स्थान मुलजिमान के मालिकाना हक को हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। चोरी होने के एक महिने बाद में कम्पनी के द्वारा एफआईआर दर्ज करवायी गयी है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–26 के दोनों मौतबिर उसके अधीनस्थ कर्मचारी है।

26– इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में किये गये उपर्युक्त कथनों से अभियोजन पक्ष की कहानी का को कोई मदद नहीं मिलती है। उक्त गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षण में किये गये कथनों के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि परिवादी द्वारा अलग–अलग लोकेशनों पर हुई चोरियों की एक ही साथ रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 पुलिस

थाना, रामगढ में घटना के करीबन एक माह बाद में दर्ज करवायी गयी है। देरीना दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है।

27– गवाह पी.डब्लू.16 अमरसिंह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 16.09.2013 को वह पुलिस थाना रामगढ़ में कानिस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसके व मोहनलाल के रूबरू परिवादी सुनील भारद्वाज ने घटनास्थल सरहद सोनू का नक्शा मौका हालात मौका आइओ देवीसिंह एएसआई को लिखवाया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 01 है। जैर हिरासत मुलजिम चम्पालाल उर्फ लक्की ने कब्बाडी अमीन व नदीम को तांबा केबल दिये जाने वाले स्थान के संबंध में मौका तस्दीक उसके व खुशालचंद हैड कानि. के रूबरू आइओ जेठाराम को करवाई थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–06 है। जैर हिरासत मुलजिम चम्पालाल उर्फ लक्की से उसके व खुशालचंद के रूबरू आइओ ने केबल वजन 25 किलोग्राम जब्त की थी, जिसकी फर्द प्रदर्शपी 07 है। उसके व खुशालचंद हैड कानि. के रूबरू आइओ देवीसिंह एएसआई को ओमप्रकाश ने जब्तशुदा तांबा केबल सुजलोन कंपनी के होने की शिनाख्त की थी, जिसकी शिनाख्ती फर्द प्रदर्शपी 08 है। मुलजिम नारायणसिंह व शैतानसिंह से बरामदशुदा तांबा केबल की शिनाख्ती ओमप्रकाश द्वारा सुजलोन कंपनी की होने की उसके व खुशालचंद के रूबरू आइओ को की थी, जिसकी फर्द प्रदर्शपी 09 है। मुलजिम नारायण सिंह को आइओ देवी सिंह ने उसके व मोहरसिंह के रूबरू गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 21 है। जैर हिरासत मुलजिमान नारायणसिंह व शैतानसिंह ने उसके व मोहरसिंह के रूबरू घटनास्थल की मौका तस्दीक आइओ को करवाई थी, जिसकी फर्द प्रदर्शपी 25 है। मुलजिम नारायण सिंह व शैतानसिंह से उसके व मोहरसिंह के सामने आइओ ने तांबा केबल के टुकड़े जब्त कर जब्ती फर्द प्रदर्शपी 26 बनाई थी। मुलजिम अमीन खां से उसके व मूलाराम के रूबरू आइओ ने तांबा केबल वजनी 24 किलोग्राम जब्त की थी, जिसकी जब्ती फर्द प्रदर्श पी 30 है।

28– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि आईओ के कहने पर उसने उक्त फर्दों पर हस्ताक्षर किये थे। उसकी उपस्थिति में कथित बरामदगी स्थल के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं लिये थे। वह मुलजिम चंपालाल को पहले से नहीं जानता

था। तार पर किसी कम्पनी का मार्का नहीं था। गोदाम के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज उसके समक्षा आईओ ने प्राप्त नहीं किया।

29– इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान स्थिर नहीं रहे है और प्रतिपरीक्षण में किये गये कथनों से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है।

30– गवाह पी.डब्लू.04 नेपालसिंह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 03.01.2014 को दोपहर में उसके व भेरूसिंह के रूबरू मुलजिम गोरधनसिंह व हालसिंह ने पुलिस को दव में तांबे की केबल के टुकडे व केबलों का उतरा हुआ रबर बरामद करवाया था, जिसकी फर्द मौके पर ही बनायी थी। बरामदसुदा माल को बोरी में डालकर सील चेपा कर मार्क अंकित किया था। उक्त माल की फर्द प्रदर्श पी–10 है। उसी रोज मुलजिमान द्वारा उसके व भैरूसिंह के रूबरू मौका व तस्दीक कराया गया था, जो फर्द प्रदर्श पी 10 है। उसी रोज पुलिस द्वारा मुलजिम गोरधनसिंह व हालसिहं की इतलानुसार दो अलग–अलग तार काटने के कट्टर म्याजलार में उसके घर से बरामद कराये थे, जिसकी फर्दें मौके पर बनायी गयी थी, जो क्रमशः प्रदर्श 11 व 12 है। उक्त बरामद कट्टर को मौके पर सील चेपा कर थैली पर मार्क बी व सी अंकित किया गया था।

31– प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह स्पष्ट कथन करता है कि उसके सामने जब्तसुदा माल आज अदालत में हाजिर नहीं है। जिस जगह माल बरामद किया था, उस जगह रेत के टीले। उपरोक्त फर्दों पर क्या लिखा हुआ है, उसे याद नहीं है।

32– गवाह पी.डब्लू.05 ओमप्रकाश मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 28.02.2014 को रामगढ़ थाने में उसे तांबे के तार के टुकडे व रबर के टुकडे दिखाये थे, जिस पर उसने सुजलोन कम्पनी का मार्का देखकर केबल सुजलोन कम्पनी का होना शिनाख्त किया था। जो माल थाने के मालखाना में पडा था, जिसकी फर्द शिनाख्ती प्रदर्शपी–08 है। उस समय खुशालचंद व अमरसिंह कांस्टेबल उपस्थित थे। उन टुकडों को वापिस देखकर वह पहचान सकता है।

32– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि थाने में माल और भी पडा था। उस कमरे में और क्या–क्या माल था व किस हालत में था, उसे याद नहीं है। माल खुला पडा था।

33– गवाह पी.डब्लू.06 सहदेव नक्शा नजरी फर्द तस्दीक मौका प्रदर्श पी–06 का मौतबिर है, जो मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 21.01.2014 को जेठाराम थानाधिकारी रामगढ़ के साथ वह व प्रेमशंकर राजीवनगर थाना, जोधपुर गये। राजीवगांधी थाना के मुकदमा संख्या 50/2013 में जब्तसुदा स्कॉर्पियो गेटवे नंबर आरजे 15 सीए 3069 को थाना के मालखाना से तस्रूफ जब्ती उसके व प्रेमशंकर के रूबरू की थी। जिसकी तस्रूफ फर्द जब्ती प्रदर्शपी–06 है। प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि उपरोक्त वाहन पुलिस थाना, राजीव नगर, जोधपुर में मालखाना में अन्य प्रकरण में जब्त थी।

34– इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा प्रतिपरीक्षण में किये गये कथनों से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है।

35- गवाह पी.डब्लू.07 भैरूसिंह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि करीब 4–5 साल पहले सरहद सेरावा में जैर हिरासत मुलजिमान गोरधनसिहं व हालसिंह की निशांदेही से पुलिस ने घटनास्थल की तस्दीक की तथा पुलिस ने कागज बनाये थे। उस समय नेपालसिंह भी उसके साथ था। फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–10 है। पुलिस ने मुलजिमान हालसिंह व गोरधनसिह के कब्जा से केबल के टुकडे बरामद कर फर्द बनायी, जो प्रदर्शपी 10 है। पुलिस ने केबल काटने का औजार, लोहे का कट्टर मुलजिम गोरधनसिंह से बरामद कर फर्द बनायी, जो प्रदर्श पी–11 है। मुलजिम हालसिंह से लोहे की आरी पुलिस ने बरामद कर फर्द बनायी, जो प्रदर्श पी 12 है।

36– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि बरामदसुदा माल आज न्यायालय में पेश नहीं है। उक्त फर्दात में क्या लिखा हुआ था, उसे पता नहीं है।

37– गवाह पी.डब्लू.08 मोहरसिंह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 05.01.2014 को मुलजिम चम्पालाल को उसके व खुशालचन्द के रूबरू गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी एवं खाना तलाशी मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी–05 है। दिनांक 01.01.2014 को मुलजिमान गोरधनसिंह एवं हालसिंह को उसके व खुशालचंद के रूबरू आइओ जेठाराम ने जरिये फर्द तसरूफ गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्शपी–03 व 04 के गिरफ्तार किया।

38– प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह स्पष्ट कथन करता है कि मुलजिमान हालसिंह व गोरधनसिंह अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में थे तथा मुलजिम चंपालाल भी जिला

कारागृह, जैसलमेर में अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में था।

39– गवाह पी.डब्लू.12 कमलकिशोर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 07.01.2014 को उक्त प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान उसके हवाले किया गया था, जिस पर जैर हिरासत मुल्जिम चंपालाल उर्फ लक्की ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला बाबत् माल खरीदने वाले व्यक्तियो एवं स्थान जोधपुर के संबध में दी थी, जो प्रदर्श पी 27 है।

40– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि फर्द ईत्तिला प्रदर्श पी–27 के अनुसरण में उसने कोई कार्यवाही नहीं की थी।

41– गवाह पी.डब्लू.13 रामनारायण अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 03.01.2014 को उक्त प्रकरण में आइओ द्वारा जब्तसुदा माल एक बोरी, जिसमें केबल के टुकडे, एक लोहे का बडा कट्टर, एक आरी फन्नर व एक बोरी जिसमें तांबा केबल थी, उसे मालखाना में जमा करने हेतु सुपुर्द किया, जिस पर उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 03/37 दिनांक 03.01.2014 में इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्शपी–28 है, जिसकी प्रति प्रदर्शपी–28 ए है, जिन पर ए से बी हिस्से में जमा माल का इन्द्राज है।

42– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि माल को उसने खोलकर नहीं देखा था और मालखाना का भौतिक सत्यापन नहीं किया था।

43– गवाह पी.डब्लू.14 कालूराम फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–22 का मौतबिर होकर औपचारिक गवाह है तथा गवाह पी.डब्लू.15 मूलाराम फर्द प्रदर्श पी–28, 29 एवं 30 का मौतबिर होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 24.04.2014 को मुलजिमान मोहम्मद आमीन व नदीम को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से उसके व मोहरसिंह के रूबरू आइओ दिलीप कुमार ने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी फर्द प्रदर्शपी–28 व 29 बनायी थी। जैर हिरासत मुलजिम अमीन के कब्जे से भिश्तियों की मजिस्द के सामने जोधपुर में ताम्बा केबल उसके व अमरसिंह के रूबरू आईओ ने जब्त की थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी–30 है, जिस पर गवाह पर गवाह अपने हस्ताक्षर होना कहता है।

44– प्रतिपरीक्षण में गवाह स्पष्ट कथन करता है कि चोरी हुआ वायर रबड था, जिस पर किसी कम्पनी का पहचान संबंधी मार्का नहीं था। जोधपुर में बरामदगी वाले स्थान

के मालिकाना हक संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये थे। बरामदगी स्थल गोदाम के स्वामित्व संबंधी कागज प्राप्त नहीं किये थे व न ही गोदाम पर उसके मालिक का नाम लिखा हुआ था।

45– इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में किये गये उपर्युक्त कथनों से यह कतई प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि बरामदगी वाला गोदाम अभियुयक्तगण अमीन एवं नदीम के कब्जे में होकर उनके स्वामित्व का था। जो तथाकथित माल बरामद किया जाना बताया गया है, वो माल कम्पनी का ही हो, इस संबंध में भी चोरी हुए माल पर किसी कम्पनी का पहचान संबंधी मार्का नहीं था। इस प्रकार उक्त साक्षी कथनों से भी अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है।

46– इसके अलावा अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब की गई फर्द बरामदगी प्रदर्श.पी.07 द्वारा अभियुक्त चंपालाल में अंकितानुसार दिनांक 12.01.2014 को माल मशरूका केबल के टुकडे बरामद करना बताया गया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श.पी.26 द्वारा अभियुक्त नारायणसिंह में अंकितानुसार दिनांक 13.03.2014 को माल मशरूका केबल तांबा तार बरामद करना बताया गया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श.पी.30 द्वारा अभियुक्त अमीन में अंकितानुसार दिनांक 25.04.2014 को माल मशरूका केबल तांबा तार बरामद करना बताया गया है।

47– अनुसंधान अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में मुर्तिब की गई उपर्युक्त फर्द बरामदगियों के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि अभियुक्तगण के कब्जे तथाकथित दर्शित की गई बरामदगियां कारित घटना से करीबन चार दस से तेरह माह पश्चात् किया जाना प्रकट है। यह बहुत अस्वाभाविक है कि इतनी देरी से अभियुक्तगण तांबे की केबल को अपने कब्जे में रख कर पुलिस द्वारा बरामद करवाने का इन्तजार कर रहे थे। कारित घटना के पश्चात् इतनी देरी से अभियुक्तगण के कब्जे से दर्शित की गई तथाकथित बरामदगीयां के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

48– इस प्रकार अभियुक्तगण के कब्जे से विधिवत् बरामदगी होना नहीं माना जा सकता है। अभियोजन का यह दायित्व है कि वह बरामदगी कार्यवाही की प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे साबित करे। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदगी कार्यवाही की कड़ी को संदेह से परे किसी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं किया गया हैं। संपूर्ण बरामदगी

कार्यवाही संदेह के घेरे में हैं।

49- इसके अलावा साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि बरामगदी स्थल अभियुक्तगण के अनन्य रूप से सचेत कब्जा में रहा हो या उसके एकल स्वामित्व का रहा हो, यह तथ्य साक्ष्य से साबित नहीं हुआ हैं। पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह तथ्य भी सामने आया है कि बरामदा सुदा तांबे की केबल पर किसी कंपनी का मार्का या निशान लगा हुआ नहीं था, जिससे भी बरामदा तांबे की केबल कंपनी का चोरी सुदा तांबे की केबल ही हो, यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ हैं। चोरी गये तांबे की केबल के साथ उसी प्रकार की तांबे की केबल मिलाकर शिनाख्ती की कार्यवाही मजिस्ट्रेट के समक्ष भी नहीं की करवायी गयी हैं। चोरी तांबे की केबल के किसी प्रकार के बिल व वाउचर भी पेश नहीं किये गये है।

50- इसके अतिरिक्त साक्ष्य में यह भी नहीं आया है कि बरामदसुदा तांबे की केबल पर कोई विशेष पहचान चिन्ह हो तथा ऐसा माल बाजार में अन्यत्र कहीं आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती हो। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोपित जुर्म से जोडने हेतु कोई संगतकारी, कडीबद्व, विश्वसनीय, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे निश्चयात्मक रूप से यह अवधारणा लेने में पूर्णतया असमर्थ है कि वस्तुतः अभियुक्तगण द्वारा ही आरोपित जुर्म कारित किया गया हो। इस प्रकार अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने वाली कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी हैं और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास होने व बरामदगी कार्यवाही संदेहास्पद होने से उक्त गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्व नहीं किया जा सकता है।

51- अतः पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर अभियुक्तगण गोरधनसिंह, हालसिंह, नारायणसिंह एवं शैतानसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं अभियुक्तगण चम्पालाल उर्फ लक्की, अमीन एवं नदीम को अपराध अन्तर्गत धारा 137 विद्युत अधिनियम के तहत गठन करने वाले अवयव पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होते हैं और अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण गोरधनसिंह, हालसिंह, नारायणसिंह एवं शैतानसिंह अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम

के तहत एवं अभियुक्तगण चम्पालाल उर्फ लक्की, अमीन एवं नदीम को अपराध अन्तर्गत धारा 137 विद्युत अधिनियम के तहत दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं।

आदेश

52– परिणामस्वरूप अभियुक्तगण गोरधनसिंह, हालसिंह, नारायणसिंह एवं शैतानसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं अभियुक्तगण चम्पालाल उर्फ लक्की, अमीन एवं नदीम को अपराध अन्तर्गत धारा 137 विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता हैं। अभियुक्तगण जमानत पर आजाद हैं। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायलाय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगे। हस्तगत प्रकरण में जब्तसुदा वजह सबूत लोहे कट्टर, आरी को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे एवं जब्तसुदा वजह सबूत ताम्बे की केबल के टुकडे यदि न्यायालय के मालखाना या संबंधित थाना में जमा है तो बाद गुजरने मियाद अपील उसका नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।

(पूरण कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम प्रकरण
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर।

53– निर्णय व आदेश आज **दिनांक 26.09.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूरण कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
विद्युत अधिनियम प्रकरण
(सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर।